सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 91/2018 दायर दिनाँक 26.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. जयनारायण पुत्र दयालाराम, जाति–ब्राह्मण, उम्र–78साल, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. छगनलाल पुत्र रामपाल, 2. दयालाराम पुत्र रामपाल, 3. गंगाविष्णु पुत्र नारायण, 4. केदारमल पुत्र नारायण, 5. दामोदर पुत्र पन्ना, 6. बंकटलाल पुत्र पन्ना, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. सुरजमल पुत्र सदाराम, 8. इन्द्रभान पुत्र सदाराम, 9. मोतीराम पुत्र गणेशाराम, 10. श्रीकिशन पुत्र गणेशाराम, 11. गिरधारीलाल पुत्र गणेशाराम, 12. गुलाबचन्द पुत्र गणेशाराम, 13. मोहनलाल पुत्र बालूराम, 14. श्रीनारायण पुत्र बालूराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री बलवीरसिंह मेड़तिया, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 19.12.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद ढिगाल में खसरा नम्बर 108 रकबा 06.13 बीघा भूमि अवस्थित है जो वादी के कब्जेकाश्त की भूमि है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त उपर्युक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 के नाम से सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है मगर उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है। उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने में वादी इसे सुरक्षित नहीं समझता है व वादी उक्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत् दावा पेश करता है।

वादी अपने वाद के जरिये राज्य-सरकार से किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाहता है इसलिए राज्य-सरकार को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है।

वादी द्वारा दिनॉक 09.11.2017 को नकल खतौनी लेने पर गलत खातेदारी दर्ज होने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद ढिगाल में खसरा नम्बर 108 रकबा 06.13 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी के समर्थन में दिलीपसिंह पुत्र हनुमानसिंह निवासी गैलासर तहसील मकराना व विद्याप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामनिवास निवासी बेड़वा तहसील डीडवाना तथा श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय पन्नेसिंह निवासी लाडपुर तहसील मकराना ने शपथ-पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी. पी.सी. के पेश हुए।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ-पत्र, जमाबन्दी ग्राम ढिगाल सम्वत् 2073-2076 खेवट संख्या 50/43 खसरा नम्बर 108 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शाट्रेश मौजा ढिगाल खसरा नम्बर 108 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम ढिगाल सम्वत् 2073 खसरा नम्बर 108 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश किये हैं।

विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादी ने जरिये विद्वान वकील के दावानुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वाद के पक्ष में, दिलीपसिंह पुत्र हनुमानसिंह निवासी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

गैलासर तहसील मकराना व विद्याप्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामनिवास निवासी बेड़वा तहसील डीडवाना तथा श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय पन्नेसिंह निवासी लाडपुर तहसील मकराना ने शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी. पी.सी. का पेश किया है व वाद वादी का समर्थन किया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सरहद ढिगाल में खसरा नम्बर 108 रकबा 06.13 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के हक में घोषित किया जाना व अन्य दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद, विवेचन, वाद वादी, दावा मुताबिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ढिगाल में खसरा नम्बर 108 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि का, वादी जयनारायण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जाता है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **19.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **91/2018** दायर दिनाँक **26.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जयनारायण पुत्र दयालाराम, जाति–ब्राह्मण, उम्र–78साल, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. छगनलाल पुत्र रामपाल, 2. दयालाराम पुत्र रामपाल, 3. गंगाविष्णु पुत्र नारायण, 4. केदारमल पुत्र नारायण, 5. दामोदर पुत्र पन्ना, 6. बंकटलाल पुत्र पन्ना, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. सुरजमल पुत्र सदाराम, 8. इन्द्रभान पुत्र सदाराम, 9. मोतीराम पुत्र गणेशाराम, 10. श्रीकिशन पुत्र गणेशाराम, 11. गिरधारीलाल पुत्र गणेशाराम, 12. गुलाबचन्द पुत्र गणेशाराम, 13. मोहनलाल पुत्र बालूराम, 14. श्रीनारायण पुत्र बालूराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढिगाल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **19.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री बलवीरसिंह मेड़तिया, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ढिगाल में खसरा नम्बर 108 रकबा 06.13 बीघा सम्पूर्ण भूमि का, वादी जयनारायण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जाता है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...............
.....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।   बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner